

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारी:-शकुन्तला(आर.ए.एस.)

ओमप्रकाश बनाम मोहम्मद अली वगै0


दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :- 25 / 2020

वादी का वद पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद में डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम डाबड़ी धीरसिंह के भूमि ख.न. 274 रकबा 10.15 है0 में प्रतिवादीगण 01 लगायत 09 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त वर्णित भूमि बिना विधिक प्रकिया वादी की फसल को खुर्द बुर्द ना करें, गैर कानूनी रूप से वादी के उक्त ख.न. के उपयोग उपभोग में बाधा पैदा ना करें, वादी के खेत में अनाधिकृत रूप से प्रवेश ना करें व पांबद किया जाता है कि वह बिना कानूनी प्रकिया के वादी के खेत में से जबरन रास्ता न निकालें।

निज,,-.....-.....मुबलिक-.....-दाबन,.....-.....खर्चा
इस मुकदमें के मय सूद बशरह-.....फसीदी आज की तारीख से तारीख तक-.....
.....-.....की अदा करे।

सब मेरे हस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16 माह 02 सन् 2021 को जारी की गई।




शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर